न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
प्रशासन गांवों के संग–2021, केम्प–कोशेलाव
बइजलास :– **श्री ऋषभ मण्डल, आई.ए.एस.**

राजस्व अपील संख्या : 02 / 2021
जी.सी.एम.एस. : 2021 / 28
दायर तिथि : 09–02–2021
तारीख निर्णय : 18.10.2021

अपीलांट :–

श्री प्रेमाराम पुत्र लुम्बाराम
जाति – घांची, नि. कोसेलाव
तहसील– सुमेरपुर (पाली)

बनाम

रेस्पोडेंट :–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कोसेलाव, तह. सुमेरपुर
2. कांतिलाल पुत्र स्व. लुम्बाराम आयु बालिग
3. दिनेश कुमार पुत्र स्व. लुम्बाराम आयु बालिग
4. मंछाराम पुत्र स्व. लुम्बाराम आयु बालिग
5. रेखादेवी पुत्री स्व. लुम्बाराम आयु बालिग
6. रमेशकुमार पुत्र स्व. लुम्बाराम आयु बालिग
7. लेहरीदेवी पत्नी स्व. लुम्बाराम आयु बालिग
8. लीला देवी पुत्री स्व. लुम्बाराम आयु बालिग

जातिगण घांची, निवासीगण कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956

विरुद्ध नामांतकरण संख्या 1815 दिनांक 05.10.2019 (स्वीकृत दिनांक 10.10.2019) सरपंच ग्राम पंचायत कोसेलाव द्वारा स्वीकृत को निरस्त करने बाबत

1. उपस्थिति
   वकील अपीलांट – नहीं
   वकील रेस्पोडेंट – नहीं

2. अपीलांट की ओर से अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:–
   A. सरहद मौजा कोसेलाव पटवार क्षेत्र कोसेलाव भू.अ.नि. कोसेलाव तहसील सुमेरपुर में निम्न प्रकार आई हुई स्थित है :–

खसरा नं.	रकबा हैक्टर में	किस्म	हिस्सा
859 / 3	0.3100 है.	बंजड	सम्पूर्ण भूमि में स्व. लुम्बाराम पुत्र नवाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
859 / 4	0.0200 है.	बंजड	सम्पूर्ण भूमि में से 1 / 4 हिस्सा स्व. लुम्बाराम पुत्र नवाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
860	0.0700 है.	बंजड	
861	0.1500 है.	गै.मु. बेरा	
862	0.0400 है.	गै.मु. मकान	

863	0.0800 है.	गै.मु. रेतीया	
864/3	2.9200 है.	चाही दोयम जाव दोयम	सम्पूर्ण भूमि में स्व. लुम्बाराम पुत्र नवाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
1601	1.9700 है.	जवाई नहरी द्वितीय	सम्पूर्ण भूमि में स्व. लुम्बाराम पुत्र नवाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

B. लुम्बाराम पुत्र नवाजी का स्वर्गवास दिनांक 21.01.2018 को हो चुका है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगाय 8 स्व. लुम्बाराम के वारिसान एवं उत्तराधिकारी है। उक्त आराजी खातेदारी भूमि पूर्व में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगाय 8 के पिता/पति लुम्बाराम पुत्र नवाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगाय 8 का कब्जा काश्त भी है। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगाय 8 द्वारा लुम्बाराम की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिये हल्का पटवारी से मिली भगत कर अपीलान्ट का नाम वारिसान के रूप से फौतेदगी नामानतरकरण में दर्ज नहीं किया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगाय 8 को ही लुम्बाराम का वंश बताकर नाम दर्ज करवाया, तथा विधि विरूद्ध पटवारी हल्का कोसेलाव द्वारा भरे गये नामान्तरकरण सं. 2815 को भू अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव द्वारा चैक कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 सरपंच ग्राम पंचायत कोसेलाव के समक्ष स्वीकृति हेतु पेश किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा नामान्तरकरण सं. 2815 दिनांक 10.10.2019 को बिना जांच के गलत वंशावली का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। जबकि लुम्बाराम पुत्र नवाजी के वारिसान में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगाय 8 है।

3. रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 लगाय 8 ने अपील का जवाब प्रस्तुत किया कि :–

A. रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपना जवाब पेश किया कि स्व. लुम्बाराम पुत्र नवाजी घांची का स्वर्गवास दिनांक 21.01.2018 को हो चुका है। स्वं लुम्बाराम की वंशावली निम्न प्रकार बताई गयी

स्व. लुम्बाराम पुत्र नवाजी घांची

↓

लहरी देवी (पत्नी)	कांतिलाल (पुत्र)	दिनेश कुमार (पुत्र)	मंशाराम (पुत्र)	रमेश कुमार (पुत्र)	पेमाराम (पुत्र)	रेखा देवी (पुत्री)	लीला देवी (पुत्री)

लुम्बाराम पुत्र नवाजी के फौत होने से नामान्तरकरण सं. 2815 दिनांक 05.10.2019 (स्वीकृत दिनांक 10.10.2019) के द्वारा राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी का इन्द्राज करते समय अपीलान्ट पेमाराम पुत्र लुम्बाराम घांची का नाम सेवन से रह गया। अपीलान्ट पेमाराम स्व. लुम्बाराम घांची का ही विधिक वारिसदार है। पेमाराम पुत्र लुम्बाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

B. रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगाय 8 ने अपना जवाब पेशकर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगाय 8 का 1/8, 1/8 हिस्सा निहित है। राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी का इन्द्राज करते समय अपीलान्ट का नाम सेवन से रह गया है। अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने से हम रेस्पोडेन्टों को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने अपील के तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया जिसमें नामान्तरकरण सं. 2815 में लुम्बाराम की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम वारिसान के रूप से

फौतेदगी नामानतरकरण में दर्ज नहीं किया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगाय 8 को ही लुम्बाराम का वारिस बताकर नाम दर्ज किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा कोसेलाव पटवार क्षेत्र कोसेलाव भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोसेलाव तहसील सुमेरपुर में खसरा नंबर 859/3, 859/4, 860, 861, 863, 864/3, 1601 में श्री पेमाराम पुत्र लुम्बाराम जाति घांची नि. कोसेलाव तह. सुमेरपुर को सहखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है एवं नामांतरकरण सं. 2815 दिनांक 10–10–2019 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18–10–2021 को मजमे आम प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोसेलाव में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ऋषभ मंडल I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)